ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

26 जनवरी, 2018 • वर्ष 1, अंक 1

सात दिन – सात पृष्ठ

- प्रथम यूपी दिवस का भव्य आयोजन
- किसानों की आय बढ़ाने की प्रतिबद्धता
- हजारों करोड़ रूपये के निवेश की तैयारी
- नई शीरा नीति सहित कई निर्णय

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश दिवस

25 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात

'उत्तर प्रदेश दिवस' के प्रथम आयोजन पर योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को 25 हजार करोड़ रूपये की सौगात दी। इन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, जहां भय, भूख और भ्रष्टाचार न हो, वहीं रामराज है।

राजधानी के अवध शिल्प ग्राम में उप्र दिवस के उद्घाटन समारोह में उप राष्ट्रपति ने कहा, देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। लोगों की सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। कुछ लोग मतभेद का प्रयास करते हैं, लेकिन देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। जब हम भारत और भारतीयता की बात करते हैं तो मजहब की बातें नहीं होती। जाति मजहब और पैसा यदि राजनीति और लोगों को प्रभावित करेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल की है। जब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। यह महान लोगों, देशभक्तों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है। इस समय केन्द्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार है। अनुकूल वातावरण है, दोनों मिलकर विकास के लिए काम करें।

> **यह प्रदेश सुंदर है। यहां के लोग सुंदर हैं और यहां कर्मठ सीएम मिला है। ऐसा सीएम जिसके पास फैमिली का भी झंझट नहीं है। पूरा प्रदेश ही उनका परिवार है जिसकी भलाई के लिए वह सोचते हैं।**
>
> **-वेंकैया नायडू** उप राष्ट्रपति

हमारे लिए यह गौरव का क्षण है : योगी आदित्यनाथ

प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारे लिए यह गौरव का क्षण है। हम आभारी हैं कि राज्यपाल राम नाईक ने हमें यह दिवस मनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने अतीत पर गर्व नहीं कर सकता, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। सरकार यूपी को बीमारू राज्य की संज्ञा से मुक्त करके इसका अभ्युदय करेगी। एक जिला–एक उत्पाद योजना से आगामी दिनों में प्रदेश के 20 लाख लोगों को रोजगार व नौकरी हासिल होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार मार्च के महीने में 23 हजार करोड़ रूपये से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रारम्भ करेगी। 340 किमी0 के आठ लेन वाले इस मार्ग का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे।

शहीदों के गांवों में बनेंगे गौरव पथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर **'मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना'** का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश की खातिर शहीद होने वाले जवानों के गाँव को शहीद ग्राम घोषित करके सर्वांगीण विकास कराया जाएगा। गाँव में बनने वाले संपर्क मार्ग को **'गौरव पथ'** कहा जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग उस गाँव में तोरणद्वार बनाएगा और शहीद जवान की मूर्ति भी स्थापित करेगा। आजादी के बाद जिन गांवों का विकास नहीं हुआ था उनको राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान कर सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। बिजली, सड़क, पानी, पक्का आवास, राशनकार्ड, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग आठ लाख 85 हजार आवास अल्प समय में बना कर बिना भेदभाव गरीबों को दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने **प्रधानमंत्री आवास योजना** के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कुँजी भी प्रदान की।

कुटीर उद्योगों के लिए संजीवनी

उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य सरकार ने **'एक जिला–एक उत्पाद'** योजना भी शुरू की। योजना के तहत सरकार हर जिले के खास उत्पादों के निर्माण, विपणन और प्रसार की सहूलियतें उपलब्ध कराई जाएंगी। देश की अर्थव्यवस्था में 8.4 प्रतिशत भागीदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य में स्थानीय स्तर पर कई विशेष व्यवसाय समूह हैं। देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश का योगदान 44 प्रतिशत है। इसी तरह कालीन में 39 प्रतिशत तथा चर्म उत्पाद में 26 प्रतिशत है। इस योजना के माध्यम से लघु उद्योगों और हस्तशिल्प के विकास का नया अध्याय शुरू होगा। सरकार नई व कार्यरत इकाइयों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायेगी।

यूपी दिवस का है ऐतिहासिक महत्व

भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने संयुक्त प्रांत का नामकरण किया था जिसमें 3 रेजिडेंसी और आगरा प्रेजिडेंसी शामिल थीं। सन् 1856 में दिल्ली डिवीजन के अलावा उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन हुआ और सीट ऑफ पावर को इलाहाबाद से आगरा शिफ्ट किया गया। जब अवध को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया। इसी श्रेणी में हारकोर्ट बटलर ने सन् 1935 में हेडक्वॉटर्स को इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया और लखनऊ को प्रांत की राजधानी घोषित किया गया। सन् 1937 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत हुआ और आखिरकार 24 जनवरी 1950 में इस संयुक्त प्रांत को नया नाम दिया गया उत्तर प्रदेश।

कूड़े से बिजली बनाने की परियोजना की आधारशिला

शहर से निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाने की परियोजना की उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने इसकी आधारशिला रखी। 338 करोड़ की यह परियोजना मोहान रोड शिवरी में लगाई जाएगी, जहां 15 मेगावाट बिजली बनेगी।

नई सोलर पॉलिसी, शबरी एप

यूपी दिवस पर राज्य सरकार ने नई सोलर पॉलिसी का भी शुभारंभ किया। विभागीय मंत्री बृजेश पाठक ने इसकी पुस्तिका अतिथियों को भेंट की। शबरी पोषण योजना एप की शुरूआत भी हुई। राज्य पोषण मिशन की महानिदेशक ने एप की जानकारियां दीं।

किसानों की आय
बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध

प्रदेश के लघु एवं सीमान्त लगभग 86 लाख किसानों का कुल 36,359 करोड़ ऋण माफ किया गया

गेहूँ क्रय हेतु लोडिंग अनलोडिंग चार्ज प्रति क्विंटल 15 रुपए अलग से अदा किया गया

आलू किसानों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

गन्ना माफियाओं पर एनएसए (रासुका) लगाने का प्रावधान

गन्ना किसानों की समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन
18001203203

वित्तीय वर्ष 2017-18 के 9 महीनों में मण्डी समितियों की आय में विगत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 221.47 करोड़ रुपए की वृद्धि

राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में मण्डियों की बड़ी भूमिका है इसलिए मण्डियों की कार्यप्रणाली सरल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, तकनीक आधारित एवं किसान फ्रेण्डली होनी चाहिए। मण्डी परिषद द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों का लाभ सीधे किसानों को मिलना चाहिए, न कि बिचौलियों को और मण्डी परिषद की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि किसान मण्डी में आने के लिए झिझक न महसूस करें बल्कि प्रोत्साहित हों। उनके मन में मण्डी परिषद के प्रति विश्वास होना चाहिए कि मण्डी से उन्हें लाभ होगा।

यह उद्गार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शास्त्री भवन में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश के संचालक मण्डल की 154वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने निर्देश दिये कि मण्डी परिषद द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मण्डी परिषद स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नयी मण्डियों का निर्माण करायें। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों के निर्माण की सम्भावनाओं की जांच कर छात्रावास बनाए जाएं ताकि इन संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने मण्डियों में नियमित साफ सफाई हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में मण्डी परिषद के निदेशक ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक अप्रैल से 31 दिसम्बर तक प्रदेश की मण्डी समितियों की कुल आय 1106.81 करोड़ रुपये रही, जो निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 95.5 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष इसी अवधि में मण्डी समितियों को 885.35 करोड़ रुपये की आय हुई थी। इस प्रकार, चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में मण्डी समितियों की आय में विगत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 221.47 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

संचालक मंडल की इस बैठक में **'मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना'** को लागू करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से संचालित **'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना', 'मुख्यमंत्री खेत–खलिहान, अग्नि काण्ड दुर्घटना सहायता योजना', 'मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना', 'मुख्यमंत्री कृषि छात्रवृत्ति योजना'** आदि योजनाओं को अधिक उपयोगी, व्यापक, पारदर्शी और प्रभावी बनाकर नवीन रूप में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश की मण्डी समितियों में किसानों की सुविधा के लिए गेहूं, धान आदि की खरीद के समय **'मुख्यमंत्री कृषक आहार योजना'** संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी।

'उत्तर प्रदेश आलू निर्यात प्रोत्साहन योजना 2018' को लागू करने, प्रदेश के नवीन मण्डी स्थलों में पीपीपी मॉडल पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किये जाने तथा नयी प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, की स्थापना की तिथि, वह तिथि मानने, जिस तिथि को सम्बन्धित कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा मिल कारखाना का लाइसेंस निर्गत किया गया है, के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अलावा, बैठक में **उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017–2022)** लागू किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप के अवलोकन कार्योत्तर अनुमोदन, प्रसंस्कृत तिल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मण्डी शुल्क व विकास शुल्क में आगामी पांच वर्षो 2017–2022 तक छूट प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्ताव, मेंथा निर्यात पर दी जा रही मण्डी शुल्क तथा विकास सेस की छूट की व्यवस्था को परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव, **'उत्तर प्रदेश नवाब ब्राण्ड आम निर्यात सहायता विनियमावली 2018'** लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, गुड़ खाण्डसारी इकाइयों हेतु त्रिवर्षीय समाधान योजना (चीनी वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के लिए) लागू किये जाने के प्रस्ताव, मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 8 (1) (क) के तहत सिंघाड़ा को निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची से अपवर्जित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी।

बैठक में सुपारी पर मण्डी शुल्क एक प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, सुपर मार्केट, कृषि विपणन केन्द्र (एएमएच) ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के **'आवंटन विनियमावली 2016'** में संशोधन के प्रस्ताव, जनपद पीलीभीत की कृषि उत्पादन मण्डी समिति बीसलपुर के उप मण्डी स्थल बिलसण्डा के निर्माणार्थ किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ग्राम चिन्तापुर की 9–084 हेक्टेयर भूमि के क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बिचौलियों से किसानों के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने वर्ष 2017–18 में 5000 से अधिक डायरेक्ट गेहूं क्रय केन्द्र खोले जिनमें 1652 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लगभग 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया। पिछले वर्ष के मुकाबले इसी अवधि में 4.5 गुना गेहूं क्रय किया गया, जो पिछले पांच वर्षो की सबसे अधिक खरीद है।

चालू पेराई सत्र में 10229.99 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया गया, पिछले साल इसी अवधि में 7476.24करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था

चालू पेराई सत्र में 119 चीनी मिलों का संचालन सुनिश्चित किया गया, पिछले पेराई सत्र में 116 मिलों का संचालन हुआ था

चालू पेराई सत्र में 20 जनवरी 2018 तक 475.58 लाख टन गन्ने की पेराई हुई। पिछले साल इसी अवधि में 406.91 लाख टन ही पेराई हुई थी

इस वर्ष चीनी उत्पादन 103 लाख टन होने की सम्भावना, पिछले साल 87 लाख टन हुआ था

चालू पेराई सत्र में 46.6 लाख चीनी बनी, पिछले साल 38 लाख टन बनी थी

उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री की पहल का किया स्वागत

उत्तर प्रदेश के बदलते माहौल का नतीजा है कि राज्य सरकार की नीतियों में अब निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। रोड शो के दौरान प्रदेश सरकार की इस पहल के बारे में सभी एक मत थे कि योगीजी ने जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कराने का बीड़ा उठाया है, उससे उनकी गंभीरता का पता चलता है। सभी उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से अभिवादन करते हुए इस आयोजन में सहभागिता करने तथा प्रदेश में निवेश हेतु आश्वासन दिया है।

उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की तैयारी

यूपी में करीब डेढ़ से दो लाख करोड़ के बीच निवेश आने की संभावना है। 21 तथा 22 फरवरी को लखनऊ में होने वाले यूपी इनवेस्टर्स समिट में बड़ी कंपनियां निवेश के अपने इन प्रस्तावों को मूर्त रूप देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में रोडशो के दौरान रतन टाटा, मुकेश अंबानी तथा हिंदुजा जैसे शीर्ष उद्योगपतियों से मिले। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना तथा उप मुख्यमंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा भी रोड शो के दौरान बड़े उद्योगपतियों से मिले। औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय ने उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें यूपी आने हेतु प्रोत्साहित किया। उसी का परिणाम है कि अडानी समूह लाजिस्टिक पार्क के क्षेत्र में निवेश को तैयार है तो मुकेश अंबानी अपने रिटेल स्टोर की संख्या 300 से बढ़ाकर 1000 करने को उत्सुक हैं। कैडिला कंपनी फार्मा पार्क बनाने हेतु इच्छुक है।

प्रदेश सरकार ने **औद्योगिक निवेश तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017** लागू की जिसमें मेगा परियोजनाओं को पुनः परिभाषित करते हुए निवेश को रोजगार सृजन के साथ लिंक किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। अग्रणी उद्योगपती इस बोर्ड के सदस्य हैं।

राज्य सरकार औद्योगिक पार्कों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पार्क जैसे–फार्मा, फूड पार्क, आईटी पार्क, लेदर पार्क, टेक्सटाइल पार्क, प्लास्टिक पार्क इत्यादि विकसित किए जा रहे हैं।

भारत सरकार की **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'** की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने भी जरूरी कदम उठाए हैं। इसके तहत, प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है ताकि उद्यमियों को अपना कारोबार करने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। समस्त औद्योगिक सेवाओं, स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों एवं लाइसेंस को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, एक समर्पित सिंगल विण्डो पोर्टल विकसित किया जा रहा है। 'मेक इन इण्डिया' की सफलता का लाभ उठाने के लिए **'मेक इन यू0पी0'** विभाग की स्थापना तथा बेहतर कानून व्यवस्था के लिए, औद्योगिक क्लस्टर व क्षेत्र में समर्पित पुलिस बल तैनात करने का निर्णय भी लिया गया है। राज्य में निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों के प्रस्तावों का **सिंगिल विण्डो सिस्टम** से तीव्रता से निस्तारण किया जाएगा। उद्यमियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश में निवेश करने वालों को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के समय ही अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्वीकृतियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। राज्य सरकार निवेशकों को सभी सुविधाएं देने के लिए संकल्पित है।

रोडशो	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रूपये)
दिल्ली	44201
बेंगलुरू	5950
हैदराबाद	11645
मुंबई	125200
कोलकाता	30135
अहमदाबाद	10000

उद्योगपतियों ने यूपी में निवेश के लिए बहुत उत्साह दिखाया है। उद्यमी यूपी में बदलते माहौल तथा उद्योग फ्रेंडली नीतियों से खासे प्रभावित हैं।

– अनूप चंद्र पाण्डेय औद्योगिक विकास आयुक्त

- रतन टाटा वाराणसी में कैंसर इंस्टीट्यूट, लखनऊ में टीसीएस सेंटर और टाटा मोटर्स के प्लांट के विस्तार पर सहमत
- महिंद्रा समूह स्कूटर्स इंडिया और एलएमएल के अधिग्रहण के साथ बैटरी चालित वाहनों के निर्माण में निवेश को इच्छुक
- हिंदुजा ग्रुप बड़े वाहनों के निर्माण के लिए सरकार के साथ करेगा सहयोग
- सन फार्मा तथा कैडिला फार्मा हब के विकास हेतु इच्छुक
- टोरंट समूह दवा और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को तैयार

"उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं से परिचित हैं और करीब 5000 करोड़ के निवेश को इच्छुक हैं। प्रदेश सरकार भी पर्यटन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर रोप–वे बनाया जायेगा। प्रदेश में नौ हेरिटेज होटलों को लीज पर देने का भी विचार है।"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 23 जनवरी 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए

महत्वपूर्ण निर्णय

हर जिले का अपना प्रोडक्ट

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की स्वीकृति। इस के अंतर्गत विशिष्ट और परम्परागत उत्पादों को देश और दुनिया के बाजारों में ब्रांड के रूप में स्थापित कराया जाएगा। इसके तहत हर साल पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हर जिले में इसके लिए दुकानें आवंटित की जाएंगी। योजना के तहत उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास की संभावना और रोजगार सृजनशीलता के आधार पर उत्पाद का चयन किया जाएगा। इस योजना में नई स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टार्ट अप, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से फाइनेन्स की भी सुविधा होगी। इसके अंतर्गत लखनऊ का चिकन, सीतापुर में दरी, गोरखपुर का टेराकोटा और वाराणसी की साड़ी जैसे उत्पादों को चयनित किया गया है।

मार्केटिंग के लिए पोर्टल

उत्पादों की ई–मार्केटिंग के लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिससे चिन्हित उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी और ऑन लाइन मार्केटिंग कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों और मेलों में इन उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।

विधान सभा सत्र

प्रदेश सरकार का बजट सत्र 8 फरवरी से शुरु होकर 20 मार्च तक चलेगा।

नई शीरा नीति

नई शीरा नीति शीरे के आरक्षण और निकासी अनुपात में बदलाव किया गया है। अब देशी मदिरा के लिए निर्धारित आरक्षित शीरे का कोटा 20 प्रतिशत से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह निकासी अनुपात भी 1 :4 से बढ़ाकर 1 :7 .4 किया गया है।

पिछले वर्ष शीरे का उठान देर से होने के कारण चीनी मिलों को नुकसान हुआ था। इस बार सरकार ने शीरे के समायोजन पर भी सशर्त अनुमति दी है। पुराने शीरे की बिक्री पर प्रतिबंध। मिलों को आरक्षित शीरे का सात फीसदी भंडारण की अनुमति के साथ शिथिलता का प्रावधान भी। नई शीरा नीति के अंतर्गत प्रशासनिक शुल्क पूर्ववत तथा शीरे के आयात में उत्तराखंड को वरीयता।

नोएडा के मकान

वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके अंतर्गत ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 12 मीटर ऊँचे भवन और बगल के ऊँचे भवन की दूरी नौ मीटर रखनी अनिवार्य होगी। भवन निर्माण के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति लेना भी आवश्यक होगा। बेसमेंट निर्माण के लिए भी नई गाइडलाइन बनाई गई हैं।

कन्सल्टेंसी फर्म

सरकारी कार्यों में बेहतर तालमेल और गुणवत्ता में सुधार के लिए विभागों को कंसल्टेंसी फर्मों की सेवा लेने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीनियर, मिड और जूनियर कन्सल्टेंट फर्मों का चयन कर एक पैनल तैयार किया जाएगा जो सभी विभागों के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नियंत्रण में कार्य करेगा।

सहकारी समितियां

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 29 और 31 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद सहकारी समितियों का अधिकार प्रबंध निदेशक को मिल जाएगा जिससे वह कर्मचारियों का तबादला और निलम्बन जैसी प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं।

ठेला खोमचा नीति

शहरों में प्राधिकरणों की सीमा के अंदर ठेला, खोमचा और पथ विक्रेताओं के लिए नियमावली 2018 की मंजूरी दे दी गई। यह व्यवस्था फेरी नीति की तर्ज पर की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी वेंडर एक्ट को लागू किया जा सकेगा।

वैदिक विज्ञान केन्द्र

वैदिक साहित्य व ज्ञान विज्ञान तथा परम्परा दर्शन के अध्ययन एवं अध्यापन हेतु काशी हिन्दू विश्वद्यालय, वाराणसी में प्रदेश सरकार वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना करेगी। इस पर 803 करोड़ 83 लाख रुपए का खर्च आएगा।

होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र

लखनऊ में होमगार्ड मंडलीय केंद्र के निर्माण लागत की वृद्धि को भी मंजूर कर लिया गया। पहले इसकी लागत करीब 10 करोड़ थी, नए प्रस्ताव में बढ़कर 11 करोड़ 40 लाख हो गई है।

सचिवालय पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रलेखीकरण केंद्र एवं पुस्तकालय सेवा में संशोधन कर इसमें 15 नए तकनीकी पदों को सृजित करने को स्वीकृति दी गई। इसके लिए 1998 में सृजित 30 पदों को समाप्त कर दिया गया।

अवैध पशु कटान पर अंकुश

पशुओं के अवैध कटान पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने धार्मिक प्रयोजन अथवा विशेष आयोजनों में पशु कटान के लिए जिलाधिकारी से अनुमति अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय नौ की धारा–197 को निरस्त करते हुए धारा–198 में संशोधन की स्वीकृति दे दी गई। इसके अंतर्गत पशुवधशालाओं के संचालन, पशुओं की बिक्री व बाजार लगाने सम्बंधी क्षेत्र व पंचायतों के अधिकारों में कटौती कर दी गई है। नगर क्षेत्रों में यह व्यवस्था पूर्व में ही लागू की जा चुकी है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी